

**कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**

**कार्य वितरण आदेश**

क्रमांक क/एक-11-1/2017

राजनांदगांव दिनांक 14 जनवरी, 2025

में सुषमा सावंत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 की धारा 15 एवं The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 08 उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के समस्त कार्य वितरण आदेशों को निरस्त करते हुए सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य सिविल, आपराधिक, सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों एवं अन्य कार्यों के संबंध में एतद् द्वारा Table-I के अनुसार कार्य वितरण करती हूँ :-

**TABLE-I**

स.क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव (पीठासीन अधिकारी सुषमा सावंत)	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव
(1)	सभी सत्र प्रकरण।	
(2)	सभी आपराधिक अपील।	
(3)	सभी आपराधिक पुनरीक्षण।	
(4)	आपराधिक प्रकरणों के अंतरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र।	
(5)	अन्य विविध आपराधिक कार्यवाहियां।	
(6)	The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 482 एवं 483 (Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 438 एवं 439) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें, (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985, The Prevention of Corruption Act, 1988, The Electricity Act, 2003, बाल न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. एवं बलात्संग के प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर)।	
(7)	The Protection of Human Rights Act, 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। (As per Notification No F/D-329/1496/21-B/08-C/CC, 2008 Dated 18.02.2008 as Human Right Court)	

(8)	दिनांक 09.10.2015 के अनुसार Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005, के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। (As per Notification No F.N 9742/3446/XXI- B/2015, Raipur dated 09-10-2015 as Special Court)
(9)	The National Investigation Agency Act, 2008. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण । (As per Notification No F.N 3406/3100/XXI- B/CG/2024, Nava Raipur dated 24-09-2024 as Special Court)
(10)	Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण । (As per Notification No F.N 4072/3861/CG/2024, Nava Raipur dated 13-11-2024 as Special Court)
(11)	The Right of Person With Disabilities, Act 2016 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। (As per Notification No F.N 2991/XXI-B/18, Nava Raipur dated 09-10-2018 as Special Court)
(12)	The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के अन्तर्गत Adulterated and Spurious Drugs एवं अन्य संबंधित प्रकरणों का निराकरण । (As per Notification No F.N 460/134/XXI-B/CG/ 2016, Nava Raipur dated 12-01-2016 as Special Court)
(13)	The Food Safety Standards Act, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरणों का निराकरण। (As per Notification No F. 25-8/2011/IX/55, Raipur dated 09-10-2017 as Food Safety Appellate Tribunal)
(14)	The Suppression of Unlawful Acts against safety of Civil aviation (amendment) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण । (As per Notification No F.N 01/4556/XXI-B/CG/ 2024, Nava Raipur dated 01-01-2025 as Special Court)
(15)	आर्थिक क्षेत्राधिकार के अनुसार Specific Relief Act, 1963 {As Amended by Specific Relief (Amendment) Act, 2018} के अन्तर्गत “ Contract Relating to Infrastructure Projects ” से संबंधित वादों का निराकरण (As per Notification No F. 7782/2124/XXI-B/CG/19, Raipur dated 02-08-2019 as Special Court)
(16)	राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी की तहसीलों से उत्पन्न रुपये 50,00,000/- से अधिक मूल्यांकन के सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।
(17)	सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद ।
(18)	पुलिस थाना <b>कोतवाली</b> , पुलिस चौकी <b>चिखली</b> , राजनांदगांव, थाना <b>सोमनी</b> तथा पुलिस थाना

	<p><b>बसंतपुर</b> (पुलिस चौकी सुरगी सहित) क्षेत्रों से उद्भूत The Motor Vehicles Act, 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के (धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्भूत दावा प्रकरणों सहित) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ।</p>	
(19)	Arbitration and Conciliation Act, 1996 से संबंधित सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण।	
(20)	नगर निगम राजनांदगांव के चुनाव से उत्पन्न अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकायें।	
(21)	केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किये जाने योग्य हो और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया है, प्रस्तुत किये जायेंगे।	
(22)	Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण।	
(23)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।	
(24)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध Chhattishgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 172 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।	
<b>2</b>	<p align="center"><b>विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी एक्ट) एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव (पीठासीन अधिकारी श्री थामस एक्का)</b></p>	<p align="center"><b>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव</b></p>
(1)	The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 तथा Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 के अंतर्गत प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण ।	
(2)	Civil District Rajnandgaon से उत्पन्न The Electricity Act, 2003, के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। (As per Notification No F.N 7788/2873/XXI-B/18 Raipur dated 03-08-2018 as Amended by Notification No 3493/894/XXI-B/C.G./2021/Raipur dated 06-03-2021 Special Court)	

	(3)	सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों एवं आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण ।
	(4)	प्रधान जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण ।
	(5)	उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
	(6)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
	(7)	पुलिस थाना छुरिया (छुरिया के पुलिस चौकी जोब सहित) व (पुलिस चौकी चिचोला के डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर चिचोला चौकी के शेष मामले) तथा थाना मोहला क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर चिचोला चौकी के शेष मामले) तथा थाना मोहला क्षेत्रों से उद्भूत The Motor Vehicles Act, 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
<b>3</b>	<b>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव (पीठासीन अधिकारी श्री डी. आर. देवांगन)</b>	<b>सिविल जिला राजनांदगांव एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव</b>
	(1)	राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये 40,00,001 से 50,00,000/- तक सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।
	(2)	प्रधान जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण ।
	(3)	उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
	(4)	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण ।
	(5)	रूपये 20,001/- से अधिक मूल्यांकन के को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
	(6)	राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने वाले रूपये 501/- से 1000/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद।

(7)	<p>1, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव,                  2, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव                  3, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव                  4, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।</p>
(8)	<p>सिविल जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) से उद्भूत रूपये 10 Lakh up to 50 Lakh तक के आर्थिक मूल्यांकन के (आर्बिट्रेशन के मामलो सहित) वाणिज्यिक मामलों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण तथा उससे संबंधित निष्पादन व विविध अनुषांगिक कार्यवाहियां ।                  (As per Notification No F.N 14391/3830/XXI-B/CG/23, Naya Raipur dated 20-12-2023 as Commercial Court (District Judge Level)</p>
(9)	<p>Civil District Rajnandgaon क्षेत्र से उत्पन्न The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985 के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरणों व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। (As per Notification No F.N 399/1382/XXI-B/CG/2023, Nava Raipur dated 02-05-2024 as Special Judge)</p>
(10)	<p>Civil District Rajnandgaon क्षेत्र से उत्पन्न The Prevention of Corruption Act, 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। (As per Notification No F.N 2987/900/XXI-B/CG/2015, Raipur dated 31-03-2015 as Special Judge)</p>
(11)	<p>Civil District Rajnandgaon क्षेत्र से उत्पन्न सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण (MP/MLA) व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। (As per Circular No 9687/(Checker)/II-6-2/2023 (MP/MLA) dated 02-08-2023.</p>
(12)	<p>सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते हैं, का निराकरण।</p>
(13)	<p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।</p>

	(14)	पुलिस थाना लाल बाग, (पुलिस चौकी तुमड़ीबोड सहित), थाना घुमका, थाना मानपुर एवं थाना खड़गांव क्षेत्रों से उद्भूत The Motor Vehicles Act, 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ।
4		द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव ( पीठासीन अधिकारी श्री अमित जिंदल)
	(1)	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1625/Confdt./2024, II-2-1/2024 बिलासपुर दिनांक 17-12-2024 के अनुसार नियुक्ति “ <b>for exclusive Labour Court Cases</b> ” होने के कारण श्रम न्यायालय के प्रकरणों एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियों का निराकरण।
5		तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव (पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)
	(1)	सिविल जिला राजनांदगांव एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव
	(1)	राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये 25,00,001 से 40,00,000/- तक सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।
	(2)	प्रधान जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण ।
	(3)	उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
	(4)	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1625/Confdt./2024, II-2-1/2024 बिलासपुर दिनांक 17-12-2024 के अनुसार नियुक्ति द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश “ <b>for exclusive Labour Court Cases</b> ” होने के कारण द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय) राजनांदगांव के न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण पूर्ववत करेंगे।
	(5)	सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते हैं, का निराकरण।

	<p>(6) 1, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव</p> <p>2, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव</p> <p>3, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।</p>	
	<p>(7) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।</p>	
	<p>(8) थाना ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले 25 गांव सहित), थाना औंधी, थाना मदनवाड़ा, थाना तेरेगांव (कोहका), थाना चिल्हाटी, गोटाटोला एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उद्भूत The Motor Vehicles Act, 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ।</p>	
<p><b>6</b></p>	<p><b>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (FTC) राजनांदगांव ( पीठासीन अधिकारी श्री विजय कुमार साहू, )</b></p>	<p><b>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव</b></p>
<p>(1)</p>	<p>राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये 10,00,001/- से 25,00,000/- तक के सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।</p>	
<p>(2)</p>	<p>प्रधान जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण ।</p>	
<p>(3)</p>	<p>उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।</p>	
<p>(4)</p>	<p>The Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।</p>	
<p>(5)</p>	<p>उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न The Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 की धारा 149 के अन्तर्गत अपील का निराकरण।</p>	
<p>(6)</p>	<p>लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों का विचारण।</p>	
<p>(7)</p>	<p>(i) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी ।</p>	

	(ii) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव।
	(iii) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव ।
	(iv) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव
	(v) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/डिक्रियों तथा आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपीलों का निराकरण।
(8)	जिला मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाले सीमा क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। (As per Notification No 13366/(Checker)/II-15-2/2012 Bilaspur, dated 22-08-2024 .)
(9)	सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उत्पन्न Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, एवं बलात्संग के प्रकरणों का निराकरण व उससे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
(10)	सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते हैं, का निराकरण।
(11)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
(12)	पुलिस थाना बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर), थाना डोंगरगांव, थाना सीतागांव एवं थाना गेंदाटोला क्षेत्रों से उद्भूत The Motor Vehicles Act, 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ।
<b>7</b>	<b>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC) राजनांदगांव ( पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश साहू )</b>
	<b>सत्र खण्ड राजनांदगाँव</b>
(1)	सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उत्पन्न Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के अंतर्गत आरोपित प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण व उससे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण ।

	(2)	सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्धृत मामलों को छोड़कर) क्षेत्रों से उत्पन्न Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. सहपठित The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के अंतर्गत प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं उससे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
	(3)	बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण।
	(4)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
<b>8</b>	<b>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण खैरागढ़ (पीठासीन अधिकारी श्री चंद्रकुमार कश्यप)</b>	<b>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील खैरागढ़, छुईखदान, सालहेवारा एवं (राजस्व जिला खैरागढ़, छुईखदान एवं गण्डई क्षेत्र से उत्पन्न)</b>
	(1)	सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ, जमानत आवेदन पत्रों ((The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985, The Prevention of Corruption Act, 1988, The Electricity Act, 2003, के प्रकरणों व जमानत पत्रों को छोड़कर) के निराकरण सहित Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों एवं The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 सहपठित Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 तथा बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण और उससे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण।
	(2)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई एवं सालहेवारा तहसीलों से उत्पन्न रुपये 10,00,000/- से अधिक मूल्यांकन केवादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण ।
	(3)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा सालहेवारा तहसीलों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी समस्त प्रकरणों का निराकरण, एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित प्रकरणों का निराकरण।
	(4)	The Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद ।

	(5)	उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
	(6)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा सालहेवारा तहसीलों से उत्पन्न The Land Aquisition Act, के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
	(7)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी खैरागढ़ द्वारा The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 172 में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ।
	(8)	The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण याचिकायें।
	(9)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा सालहेवारा तहसीलों से उत्पन्न लघुवाद अधिनियम के अन्तर्गत 501/- से 1000/- रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण ।
	(10)	तहसील खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा सालहेवारा क्षेत्रांतर्गत केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कार्य विभाजन में अन्यथा उपबंधित नहीं है।
	(11)	1, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़ 2, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई स्थान खैरागढ़ 3, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी छुईखदान के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।
	(12)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
	(13)	खैरागढ़ तहसील क्षेत्रांतर्गत केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कार्य विभाजन में अन्यथा उपबंधित नहीं है।
<b>9</b>	<b>अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (FTC)(वर्तमान में श्री चंद्रकुमार कश्यप के अतिरिक्त प्रभार में)</b>	<b>(राजस्व जिला खैरागढ़, छुईखदान एवं गण्डई क्षेत्र से उत्पन्न)</b>
	(1)	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ के अन्तर्गत आने वाले सीमा क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। (As per Notification No 13366/(Checker)/ II-15-2/2012 Bilaspur, dated 22-08-2024 .)

10	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण डोंगरगढ़ (श्री अनीष दुबे)	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील डोंगरगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न
(1)	सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ, जमानत आवेदन पत्रों ((The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985, The Prevention of Corruption Act, 1988, The Electricity Act, 2003, के प्रकरणों व जमानत पत्रों को छोड़कर) के निराकरण सहित Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों एवं The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 सहपठित Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 तथा बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण और उससे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण।	
(2)	डोंगरगढ़ तहसील से उत्पन्न रूपये 10,00,000/- से अधिक मूल्यांकन के वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।	
(3)	डोंगरगढ़ तहसील के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा संबंधी प्रकरणों एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित प्रकरणों का निराकरण।	
(4)	The Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद ।	
(5)	उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।	
(6)	राजस्व तहसील डोंगरगढ़ से उत्पन्न The Land Aquisition Act, के अन्तर्गत प्रकरण ।	
(7)	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) डोंगरगढ़ द्वारा The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 172 में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ।	
(8)	The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण याचिकायें।	
(9)	डोंगरगढ़ तहसील से उत्पन्न लघुवाद अधिनियम के अन्तर्गत 501/- से 1000/- रूपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण ।	
(10)	डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न The Guardian & Wards Act, 1890 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।	
(11)	डोंगरगढ़ राजस्व तहसील क्षेत्र से उत्पन्न वैवाहिक विवाद से संबंधित याचिकाओं का निराकरण	

	करना ।	
(12)	डोंगरगढ़ राजस्व तहसील क्षेत्र से उत्पन्न Hindu Marriage Act, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों/ याचिकाओं का निराकरण करना ।	
(13)	डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्रांतर्गत केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कार्य विभाजन में अन्यथा उपबंधित नहीं है।	
(14)	1, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी डोंगरगढ़ 2, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश डोंगरगढ़ 3, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डोंगरगढ़ के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रियों तथा आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपीलें एवं विविध व्यवहार अपीलें।	
(15)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।	
<b>11</b>	<b>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री भूपत सिंह साहू)</b>	<b>तहसील राजनांदगांव डोंगरगांव , छुरिया</b>
(1)	रूपये 5,00,001/-से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।	
(2)	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद ।	
(3)	राजस्व तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, एवं छुरिया तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न The Indian Succession Act, 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।	
(4)	लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय 500/- तक की लघुवाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना।	
(5)	The Co-Operative Societies Act, 1912 के अन्तर्गत 20,000/-रूपये मूल्यांकन के प्रकरणों का निराकरण ।	
(6)	The Employees State Insurance Act,1948. के अन्तर्गत- (i)राजनांदगांव कार्पोरेशन के अन्तर्गत (ii) मोहला तहसील के राजस्व ग्रामों के क्षेत्र के अन्तर्गत. (iii) राजनांदगांव रेलवे बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण ।	
(7)	राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र से उत्पन्न The Chhattisgarh Municipalities Act,	

	1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें ।	
(8)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के रिक्त न्यायालय में पारित निर्णय/आदेशों से उद्यभूत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय के आदेशों के पालन की कार्यवाहियां ।	
(9)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।	
(10)	सिविल जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) से उद्भूत रूपये 03 Lakh up to 10 Lakh तक के आर्थिक मूल्यांकन के (आर्बिट्रेशन के मामलो को छोड़कर) वाणिज्यिक मामलों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण तथा उससे संबंधित निष्पादन व विविध अनुषांगिक कार्यवाहियां । (As per Notification No F.N 14391/3830/XXI-B/CG/23, Naya Raipur dated 20-12-2023 as Commercial Court (Civil Judge Level) {As Senior Most Civil Judge})	
(11)	आर्थिक क्षेत्राधिकार के अनुसार Specific Relief Act, 1963 {As Amended by Specific Relief (Amendment) Act, 2018} के अन्तर्गत “ Contract Relating to Infrastructure Projects ” से संबंधित वादों का निराकरण (As per Notification No F. 7782/2124/XXI-B/CG/19, Raipur dated 02-08-2019 as Special Court)	
(12)	Civil District Rajnandgaon क्षेत्र से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण (MP/MLA) व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। (As per Circular No 9687/(Checker)/II-6-2/2023 (MP/MLA) dated 02-08-2023.	
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , राजनांदगांव	(वर्तमान में रिक्त)
(1)	(वर्तमान में रिक्त)	
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव	(वर्तमान में रिक्त)
(1)	(वर्तमान में रिक्त)	
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव	(वर्तमान में रिक्त)
(1)	(वर्तमान में रिक्त)	

15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मोहला-मानपुर- अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी (श्रीमती चंद्रकला साहू)	तहसील अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर
	<p>(1) रूपये 1/- से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।</p> <p>(2) The Co-Operative Societies Act, 1912 के अन्तर्गत 20,000/-रूपये मूल्यांकन के प्रकरणों का निराकरण ।</p> <p>(3) राजस्व तहसील अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर से उत्पन्न 200/- रूपये से 1000/- रूपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकृति के प्रकरणों से नियमित प्रणाली द्वारा निराकरण ।</p> <p>(4) लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना।</p> <p>(5) The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 130 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें ।</p> <p>(6) The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें ।</p> <p>(7) The Indian Succession Act, 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण।</p> <p>(8) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।</p>	
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़-गण्डई- छुईखदान स्थान खैरागढ़ (श्री श्याम कुमार साहू)	खैरागढ़, छुईखदान, साल्हेवारा एवं गंडई तहसील
	<p>(1) खैरागढ़, छुईखदान, साल्हेवारा एवं गंडई तहसील से उत्पन्न रूपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।</p> <p>(2) The Co-Operative Societies Act, 1912 के अन्तर्गत 20,000/-रूपये मूल्यांकन के प्रकरणों का निराकरण ।</p> <p>(3) लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण एवं उनसे से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना।</p> <p>(4) The Indian Succession Act, 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण ।</p> <p>(5) The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत</p>	

	अपीलें ।	
(6)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।	
<b>17</b>	<b>व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , डोंगरगढ़ (वर्तमान में रिक्त)</b>	<b>तहसील डोंगरगढ़</b>
(1)	रूपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद तथा जिला न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरणों का निराकरण ।	
(2)	लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रु.500/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण ।	
(3)	The Co-Operative Societies Act, 1912 के अन्तर्गत रूपये 20,000/- तक के प्रकरणों एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना।	
(4)	The Indian Succession Act, 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण ।	
(5)	The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें ।	
(6)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।	
(7)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश डोंगरगढ़ के न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/ आदेशों से उद्भूत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेशों के पालन की कार्यवाहियां ।	
<b>18</b>	<b>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (कुमारी योगिता कुंवर)</b>	
(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।	
(2)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।	

19	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)	तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया
	<p>(1) रुपये 3,00,001/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण ।</p> <p>(2) उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण ।</p> <p>(3) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।</p> <p>(4) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/आदेशों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।</p>	
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)	तहसील राजनांदगांव, डोंगरगाँव एवं छुरिया
	(1) रुपये 1/- से 3,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण ।	
	(2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।	
	(3) उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।	
	<p>(4) (i) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी खैरागढ़ स्थान राजनांदगांव</p> <p>(ii) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डोंगरगढ़ स्थान राजनांदगांव के न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/आदेशों से उद्भूत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेशों के पालन की कार्यवाहियां ।</p>	
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (कुमारी रुचि मिश्रा)	तहसील राजनांदगांव, डोंगरगाँव एवं छुरिया
	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।	
	(2) उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।	

22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव, (श्रीमती हर्षी अग्रवाल)	तहसील राजनांदगांव, डोंगरगाँव एवं छुरिया
	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।
	(2)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव	रिक्त न्यायालय
		रिक्त न्यायालय
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्रीमती अंजली सिंह)	
	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।
	(2)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण ।
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव, (श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित)	
	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
	(2)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव, (कुमारी प्रेरणा वर्मा)	
	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन।
	(2)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण।

<b>27</b>	<b>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी , खैरागढ़ (श्री गुरुप्रसाद देवांगन)</b>	<b>तहसील खैरागढ़</b>
	(1)	रूपये 1/-से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण ।
	(2)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।
	(3)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण ।
<b>28</b>	<b>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डोंगरगढ़, (श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ)</b>	<b>तहसील डोंगरगढ़</b>
	(1)	रूपये 1/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण ।
	(2)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।
	(3)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना।
<b>29</b>	<b>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी , छुईखदान, (श्री ईशान व्यास)</b>	<b>तहसील छुईखदान, सालहेवारा एवं गण्डई</b>
	(1)	रूपये 1/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।
	(2)	लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण ।
	(3)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।
	(4)	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना ।

### अवकाश कालीन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता पर उपबंध

- (1) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत याचिका मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उन्हीं के द्वारा सुनी जायेगी ।
- (2) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रस्तुत जमानत याचिका यदि सहअभियुक्त की है अथवा पूर्व में निराकृत है तो उसी न्यायाधीश द्वारा सुनी जायेगी जिनके द्वारा सहअभियुक्त की जमानत याचिका अथवा पूर्व की जमानत याचिका सुनी गयी थी। ऐसी याचिकाओं के औपचारिक अंतरण की आवश्यकता नहीं होगी और याचिकायें संबंधित न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित मानी जायेगी ।

- (3) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में “ **Sexual offence against Woman** ” से संबंधित जमानत याचिकायें भी अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) राजनांदगांव द्वारा सुनी जायेगी, ऐसी जमानत याचिकाओं के भी औपचारिक अंतरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय नियम, 1968 के “ **अध्याय 5 विविध उपबंध** ” नियम 21 उप नियम (3) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जाती है कि, दीर्घकालीन अवकाश (शीतकालीन अवकाश/ ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों की सुनवाई प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अत्यावश्यकता का परीक्षण कर की जायेगी और यदि पीठासीन अधिकारी अवकाश में होंगे तो उनके Link Officer अत्यावश्यक सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे।
- (5) Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 की धारा 21 उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश, स्थानांतरण एवं अन्य किसी दशा में अनुपलब्ध की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के Memo No 14754/D&A/2023 Bilaspur dated 08-11-2023 (As Amended by Corrigendum No 15250/D&A/2023 dated 23-11-2023) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार उनके न्यायालय के अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण **आपराधिक प्रकरणों का कार्य Table-II एवं व्यवहार प्रकरणों का कार्य Table-III** के अनुसार उपलब्ध न्यायाधीश के द्वारा संपादित किये जायेंगे।

**आपराधिक प्रकरणों का कार्य**  
**Table-II**

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने वाले अधिकारी/लिंक अधिकारी का नाम	
1	सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (सुषमा सांवत)	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव (श्री थामस एक्का)	अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) राजनांदगांव (श्री विजय कुमार साहू)
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव (श्री थामस एक्का)	सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (सुषमा सांवत)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री दुखीराम देवांगन)
3	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री दुखीराम देवांगन)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)	अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), राजनांदगांव (श्री विजय कुमार साहू)

4	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)</b>	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री दुखीराम देवांगन)</b>	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव <b>(श्री थामस एक्का)</b>
5	अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव <b>(श्री थामस एक्का)</b>	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)</b>
6	अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC), राजनांदगांव <b>(श्री ओमप्रकाश साहू)</b>	अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव <b>(श्री थामस एक्का)</b>
7	अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), <b>(श्री चंद्रकुमार कश्यप)</b>	अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ <b>(श्री अनीष दुबे)</b>	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)</b>
8	अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ <b>(श्री अनीष दुबे)</b>	अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), <b>(श्री चंद्रकुमार कश्यप)</b>	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री दुखीराम देवांगन)</b>

**व्यवहार प्रकरणों का कार्य**

**Table-III**

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने वाले अधिकारी/लिक अधिकारी का नाम	
1	प्रधान जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(सुषमा सांवत)</b>	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/ जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री थामस एक्का)</b>	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>
2	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री थामस एक्का)</b>	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>	प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री दुखीराम देवांगन)</b>
3	प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री दुखीराम देवांगन)</b>	तृतीय जिला न्यायाधीश राजनांदगांव <b>(श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)</b>	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>
4	तृतीय जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)</b>	प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री दुखीराम देवांगन)</b>	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव <b>(श्री विजय कुमार साहू)</b>

5	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव (श्री विजय कुमार साहू)	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/ जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री थामस एक्का)	तृतीय जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)
6	जिला न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), राजनांदगांव (श्री ओमप्रकाश साहू)	प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री दुखीराम देवांगन)	तृतीय जिला न्यायाधीश राजनांदगांव (श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)
7	जिला न्यायाधीश, खैरागढ़ (श्री चंद्रकुमार कश्यप)	जिला न्यायाधीश, डोंगरगढ़ (श्री अनीष दुबे)	तृतीय जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री सिद्धार्थ अग्रवाल)
8	जिला न्यायाधीश, डोंगरगढ़ (श्री अनीष दुबे)	जिला न्यायाधीश, खैरागढ़ (श्री चंद्रकुमार कश्यप)	प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री दुखीराम देवांगन)
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (श्री भूपत सिंह साहू)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (कुमारी योगिता कुंवर)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (कुमारी प्रेरणा वर्मा)
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (कुमारी रुचि मिश्रा)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (कुमारी रुचि मिश्रा)
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (कुमारी रुचि मिश्रा)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव (श्रीमती हर्षी अग्रवाल)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री मनीष कुमार)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव (श्री आशीष भगत)

15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्रीमती अंजली सिंह)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(कुमारी रुचि मिश्रा)</b>	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव <b>(श्री आशीष भगत)</b>
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(कुमारी प्रेरणा वर्मा)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव <b>(कुमारी योगिता कुंवर)</b>
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(कुमारी प्रेरणा वर्मा)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव <b>(कुमारी योगिता कुंवर)</b>
18	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , डोंगरगढ़ <b>(वर्तमान में रिक्त)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव. <b>(श्री भूपत सिंह साहू)</b>	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव <b>(श्री आशीष भगत)</b>
19	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डोंगरगढ़ <b>(श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ)</b>	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , डोंगरगढ़. <b>(वर्तमान में रिक्त)</b>	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव <b>(श्री आशीष भगत)</b>
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी <b>(श्रीमती चंद्रकला देवी साहू)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, राजनांदगांव. <b>(श्री भूपत सिंह साहू)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव <b>(श्रीमती अंजली सिंह)</b>
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़ <b>(श्री श्याम कुमार साहू)</b>	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़ <b>(श्री गुरु प्रसाद देवांगन)</b>	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी , छुईखदान <b>(श्री ईशान व्यास)</b>
22	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी खैरागढ़ <b>(श्री गुरु प्रसाद देवांगन)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़ <b>(श्री श्याम कुमार साहू)</b>	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी , छुईखदान <b>(श्री ईशान व्यास)</b>
23	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी छुईखदान <b>(श्री ईशान व्यास)</b>	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़ <b>(श्री गुरु प्रसाद देवांगन)</b>	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई स्थान खैरागढ़ <b>(श्री श्याम कुमार साहू)</b>

**नोट-** उपरोक्त तालिकाओं में उल्लेखित लिंक अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनके पदनाम के चक्रानुकुम तालिकानुरूप निरंतर रहेगा एवं अन्यथा दशा में कैडर में उपलब्ध न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा ।

**Section 183 BNSS & Inventory under NDPS Act**

राजस्व जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र अम्बागढ़ चौकी, खड़गाँव, मोहला, मानपुर, चिल्हाटी, सीतागाँव, तेरेगाँव (कोहका), औंधी, मदनवाड़ा, गोटाटोला से उद्भूत मामलों में **The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023** की धारा 183 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164) के अन्तर्गत कथन दर्ज करने एवं The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985 के अन्तर्गत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेंट्री तैयार करने हेतु निम्न तालिका Table-IV अनुसार व्यवस्था की जाती है-

**Table-IV**

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	थाना का नाम	उपरोक्त कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	काल क्रमांक (4) के अनुपस्थिति में कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी	अम्बागढ़ चौकी, खड़गाँव एवं मोहला	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव
		चिल्हाटी एवं मानपुर	श्रीमती हर्षी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्री मनीष कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव
		सीतागाँव एवं तेरेगाँव (कोहका)	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	कुमारी प्रेरणा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव
		औंधी, गोटाटोला एवं मदनवाड़ा	कुमारी योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव

उपरोक्त तालिका के कालम क्रमांक (4) एवं (5) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने बाबत यदि शंकास्पद की स्थिति आती है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव द्वारा उपरोक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा ।

**नोट:-**

- (1) ऐसे समस्त प्रकरण जो District Judge Cadre की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित है और जिनका इस कार्य वितरण आदेश में उल्लेख नहीं है वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे और ऐसे समस्त प्रकरण जो Civil Judge Cadre की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित है और जिनका इस कार्य वितरण आदेश में उल्लेख नहीं है वे वरिष्ठ श्रेणी न्यायालय से संबंधित होने पर वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) एवं कनिष्ठ श्रेणी न्यायालय से संबंधित होने पर वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे
- (2) ऐसे समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण जो कि एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हैं और उसी दुर्घटना से संबंधित दावा प्रकरण यदि राजनांदगांव जिला की क्षेत्राधिकारिता के किसी प्राधिकरण में लंबित है, तो नवीन दावा उसी प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
- (3) इस कार्य विभाजन आदेश में उल्लेखित सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर प्रकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा ।
- (4) यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 14 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और पूर्व से लंबित कार्यवाहियों पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

**सही/-**  
**(सुषमा सावंत)**  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
राजनांदगांव, छ.ग.